दिनांक 20.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 30/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः कर्मचारी चयन अयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा–2025 में फिजीकल हैण्डीकैप्ड कैण्डिडेटों को नियम विरूद्ध तरीके से स्क्राइबर/लेखक उपलब्ध कराकर नकल कराने तथा कूटरचित पी0एच0 प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा दिलाने वाले गैंग के सरगना सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 20–09–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कर्मचारी चयन अयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा–2025 में फिजीकल हैण्डीकैप्ड कैण्डिडेटों को नियम विरूद्ध तरीके से स्क्राइबर/लेखक उपलब्ध कराकर नकल कराने तथा कूटरचित पी0एच0 प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा दिलाने वाले गैंग के सरगना सहित 11 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– सागर पाण्डेय पुत्र गंगाधर पाण्डेय निवासी सी–2/608 महेषगार्ड लाइन 15बी बटालियन इन्दौर म0प्र0 **(गैंग लीडर)**

2– विराट कुमार पुत्र चन्द्रेश्वर दास निवासी ग्राम विटण्डीपुर, थाना जनदाहा, बैशाली बिहार।

3– दुर्गेष कुमार पुत्र सुग्रीव प्रसाद निवासी बिरना, अमरा, थाना धानापुर चन्दौली।

4– जय प्रकाष मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्या निवासी करनपुर थाना देहात कोतवाली मीरजापुर।

5– चेतन शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी 89शिवराम कालोनी, लीम्बोदी, थाना तेजाजी नगर इन्दौर। म0प्र0 **(स्क्राइबर/साल्वर) शिक्षा–बीटेक**

6– बसन्ती लाल कुमावत पुत्र कारूलाल कुमावत ग्राम–गॉवलोध, थाना नाहरगढ़, मन्सौर म0प्र0। **(स्क्राइबर/साल्वर) शिक्षा–बीटेक**

7– रोहित कुमार सिंह पुत्र स्व0 रघुनाथ सिंह निवासी गोविन्दपुरम जनपद–गाजियाबाद।
(आदर्श परीक्षा केन्द्र का सेण्टर हेड एवं इनोवेटिव व्यू कम्पनी का कर्मचारी)

8– नरेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी मदनपुर खादर, थाना सरिता बिहार, नई दिल्ली। **(आदर्श परीक्षा केन्द्र का मैनेजर एवं इनोवेटिव व्यू कम्पनी का कर्मचारी)**

9– अमित कुमार पुत्र जितेन्द्र प्रसाद चौधरी निवासी वार्ड नं0 32, मुगेरीगंज, संस्कार वाटिका के पास बेगुसराय बिहार। **(कूटरचित पी0एच0 प्रमाण पत्र पर परीक्षा देने वाला)**

10– सरवन कुमार पुत्र विमलेश कुमार निवासी ग्राम व थाना गुरसराय, जनपद–झॉसी।

11– शरद यादव पुत्र यशवन्त सिंह ग्राम मुसकुरा, थाना नावाबाद, जनपद झॉसी।

बरामदगीः–

1– 16 अदद कूटरचित पी0एच0 मेडिकल प्रमाण पत्र।

2– 13 अदद मोबाईल।

3– 03 अदद निर्वाचन कार्ड।

4– 06 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद डीएल।

6– 03 अदद पैन कार्ड।

7– रू0 14,75,870/ (चौहद लाख पचहत्तर हजार आठ सौ सत्तर रूपये) नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक–

1– दिनांक 19–09–2025 समय 17.20 बजे। स्थान गौर सिटी टावर डी–1, नोएडा।

2– दिनांक 19–09–2025 आदर्श परीक्षा केन्द्र सेक्टर–80, फेस–2, थाना–फेस–2, नोएडा।

3– होटल टाउन हाउस थाना क्षेत्र सेक्टर–121, नोएडा।

दिनांक 12–09–2025 से 26–09–2025 तक कर्मचारी चयन अयोग द्वारा आयोजित कम्बाइण्ड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) टीयर–1, परीक्षा–2025 आन लाईन परीक्षा को नकलविहीन एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु एसटीएफ उ0प्र0 को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों द्वारा अभिसूचना सकंलन एवं कार्यवाही प्रचलित थी। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, के पर्यवेक्षण में कार्यरत मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 19–09–2025 को उप निरीक्षक श्री जोवद आलम सिद्दीकी, मृत्युन्जय सिंह, मुनेन्द्र सिंह, यशवन्त सिंह, आरक्षी चाल विष्णु कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम जनपद नोएडा में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आदर्श परीक्षा केन्द्र थाना क्षेत्र फेस–02, नोएडा में सीजीएल परीक्षा–2025 प्रचलित है, जहॉ पर पीएच कैण्डिडेटों को गैर कानूनी तरीके से स्क्राइबर/लेखक उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रचलित परीक्षा ग्रेजुएट लेवल की है, जिसमें नियमानुसार कमीशन द्वारा पी0एच0 कैण्डिडेट को लेखक उपलब्ध कराया जाता है। विशेष परिस्थिति में कैण्डिडेट स्वयं भी अपना लेखक ला सकता है, जिसके गहन परीक्षण के बाद ही उसे बतौर लेखक अनुमति प्रदान की जाती है। प्रचलित

परीक्षा ग्रेजुएट लेबल की होने के कारण नियमानुसार लेखक एक लेवल नीचे का हो सकता है। प्राप्त अभिसूचना के मुताबिक गैंग द्वारा परीक्षा केन्द्र के कर्मियों से साठगॉठ कर बी0टेक0 अथवा उससे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त लेखको को अनाधिकृत तरीके से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कराकर बतौर साल्वर कैण्डिडेट के साथ बैठाकर प्रश्नपत्र हल कराया जा रहा है। गैग के लोग इसके बदले में कैण्डिडेट से एक से दो लाख रूपये की वसूली भी कर रहे है, जिसमें परीक्षा केन्द्र में मौजूद कर्मिचारियों की भी हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त कूटरचित प्रमाण पत्रों के आधार पर भी पी0एच0 कैण्डिडेट को परीक्षा दिलाया जा रहा है एवं गैग का सरगना सागर पाण्डेय अपने साथियों के साथ गौर सिटी टावर–डी1 के द्वितीय तल पर मौजूद है तथा वही से परीक्षा सम्बन्धी संचालन कर रहा है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर सागर पाण्डेय सहित 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके निशादेही पर शेष अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर उपरोक्त बरामदगी की गयी।

सरगना सागर पाण्डेय ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो आन लाइन/आफ लाइन परीक्षा केन्द्रों के कर्मचारियों अथवा प्रतियोगी परीक्षा संचालित कराने वाली संस्था के कर्मचारियों से साठगांठ करके प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों में अनाधिकृत साल्वरों को प्रवेष कराकर कैण्डिडेट के प्रश्नपत्र को हल कराकर उनसे मोटी रकम की वसूली करता है। दिनांक 12–09–2025 से सी0जी0एल0 की आन लाईन परीक्षा आदर्ष परीक्षा केन्द्र सेक्टर–08 नोएडा में चल रही है। इस परीक्षा को ईडूक्यूटी नाम की संस्था द्वारा कराया जा रहा है, परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रचर इनोवेटिव व्यू प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कम्पनी के कर्मचारी रोहित कुमार व नरेन्द्र से सांठगांठ कर पी0एच0 कैण्डिडेट के लिए साल्वर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया है। रोहित परीक्षा केन्द्र का सेन्टर हेड है एवं नरेन्द्र असिस्टेण्ट मैनेजर है, जिसकी मदद से ही अनाधिकृत तरीके से साल्वर परीक्षा केन्द्र में प्रवेष कर पी0एच0 कैण्डिडेट का पेपर हल करते है। सामान्यतः स्क्राइबर के तौर पर बी–टेक, एम0एस0सी0, बी0एस0सी0 पास युवको को ही परीक्षा में सम्मिलित कराते है जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रष्नपत्र हल करने में सक्षम हो। जिसके एवज में उनको एक घण्टे की परीक्षा के लिए रू0 10,000/– देते है तथा कैण्डिडेट से साल्वर उपलब्ध कराने के नाम पर एक से दो लाख प्राप्त करते है। हम लोग फर्जी हैण्डीकैप्ड प्रमाण पत्र तैयार कराकर भी कैण्डिडेट को परीक्षा में सम्मिलित कराते है जिसके बदले में 50 हजार रूपये लेते है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फेज–02, जनपद नोएडा में मु0अ0सं0 465/2025 धारा 318(4), 340(2), 112(2) बीएनएस, धारा 8,11,13(5) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि0 2024 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद/थाना मझोला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 चार पहिया वाहन**
- **06 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनॉकः 19/20.09.2025 की रात्रि थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–राजकुमार उर्फ राजू 2–गगन 3–युनूस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 चार पहिया वाहन, 06 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू के विरूद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मझोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार उर्फ राजू निवासी इग्लास थाना इग्लास जनपद अलीगढ़ हालपता–ओमेक्स सिटी फेस–02 थाना सदर जनपद पलवल, हरियाणा।

2–गगन निवासी गांव चिरावदा थाना सदर जनपद पलवल, हरियाणा।

3–युनूस निवासी रामेश्वरधाम मुरलीपुरा थाना मुरलीपुरा जनपद जयपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी के 07 चार पहिया वाहन।

2–06 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

➢ जनपद गोण्डा/थाना मोतीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 35–35 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सरफराज 2–नीरज को सश्रम आजीवन कारावास व 35–35 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शमशेर उर्फ शमशीर को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त रामकैलाश उर्फ कैलाश को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––